इकाई -II : पूर्ति का मूल्य

(UNIT-I : VALUE OF SUPPLY)

सीखने का परिणाम (Learning Outcomes)

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप निम्न के योग्य होंगे :

- माल/सेवाओं की कर योग्य पूर्ति के क्या घटक हैं, जब पूर्ति असम्बन्धित व्यक्ति को की जाती है जहाँ मूल्य ही पूर्ति का एक मात्र प्रतिफल है।
- कर योग्य पूर्ति के मूल्य से विभिन्न निहित/पृथक कारक।
- उन स्थिति की स्पष्टता जहाँ पूर्ति के मूल्य में कटौती शामिल होगी या नहीं होगी।
- सम्बन्धित व्यक्ति का निर्धारण।
- कर योग्य पूर्ति के मूल्य की गणना जब पूर्ति के लिये मूल्य एक मात्र प्रतिफल है और पूर्तिकर्ता एवं प्राप्तकर्ता सम्बन्धित व्यक्ति नहीं हैं।

इकाई अवलोकन

1. परिचय (Introduction)

GST देय है (i) माल/सेवाओं की पूर्ति पर जब प्रतिफल के लिये व्यवसाय के दौरान अथवा अभ्युदय में की गयी है, (ii) जब पूर्ति बिना प्रतिफल के लिये हो–CGST Act की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट मामले।

चूंकि, GST पूर्ति के मूल्य पर प्रतिशत आधार पर उद्गृहीत की जाती है, चाहे माल की हो या सेवाओं की पूर्ति हो, यह महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार यह जानें कि उस मूल्य को किस प्रकार संगणित किया जाय जिस पर कर

© The Institute of Chartered Accountants of India

का भुगतान होना है। पूर्ति के मूल्य सम्बन्धी प्रावधान, ऐसी व्यवस्था को निश्चित करते हैं कि पूर्ति के मूल्य की गणना कैसे की जाय जिसके आधार पर CGST और SGST/UTGST (राज्य के अन्दर पूर्ति) और IGST (अन्तर्राज्यीय पूर्ति) का भुगतान किया जाय।

CGST Act की धारा 15 अध्याय IV के साथ CGST नियमावली[1] के अनुसार, पूर्ति का मूल्य माल एवं सेवाओं का मूल्य निर्धारित करने हेतु उन प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

CGST Act की धारा 15 के अधीन माल/सेवाओं की पूर्ति के मूल्य निर्धारण के लिये सामान्य प्रावधान उल्लिखित हैं। इसमें व्यवस्था है कि पूर्ति के मूल्य का निर्धारण जो असम्बन्धित व्यक्तियों के मध्य ऐसे मूल्य पर की गयी है जहां मूल्य ही एक मात्र प्रतिफल है। जब धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार पूर्ति के मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सके, इसका निर्धारण अध्याय IV; CGST नियमावली के अधीन पूर्ति के मूल्य का निर्धारण–के अनुसार होगा।

CGST Act के अंतर्गत पूर्ति की कीमत के प्रावधान IGST Act की धारा 20 के द्वारा IGST Act पर भी लागू किये गए हैं।

2. प्रासंगिक परिभाषाएँ (Relevant Definitions)

- **अभिकर्ता** का आशय किसी व्यक्ति से है, जिसमें शामिल है फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेन्ट, आढ़तिया, डेल क्रेडर एजेन्ट, नीलामकर्ता अथवा अन्य कोई मर्केन्टाइल एजेन्ट चाहे किसी भी नाम से जाना जाय, जो माल/सेवाओं की पूर्ति या माल/सेवाओं की प्राप्ति किसी दूसरे के लिये करते हैं। [धारा 2 (5)]

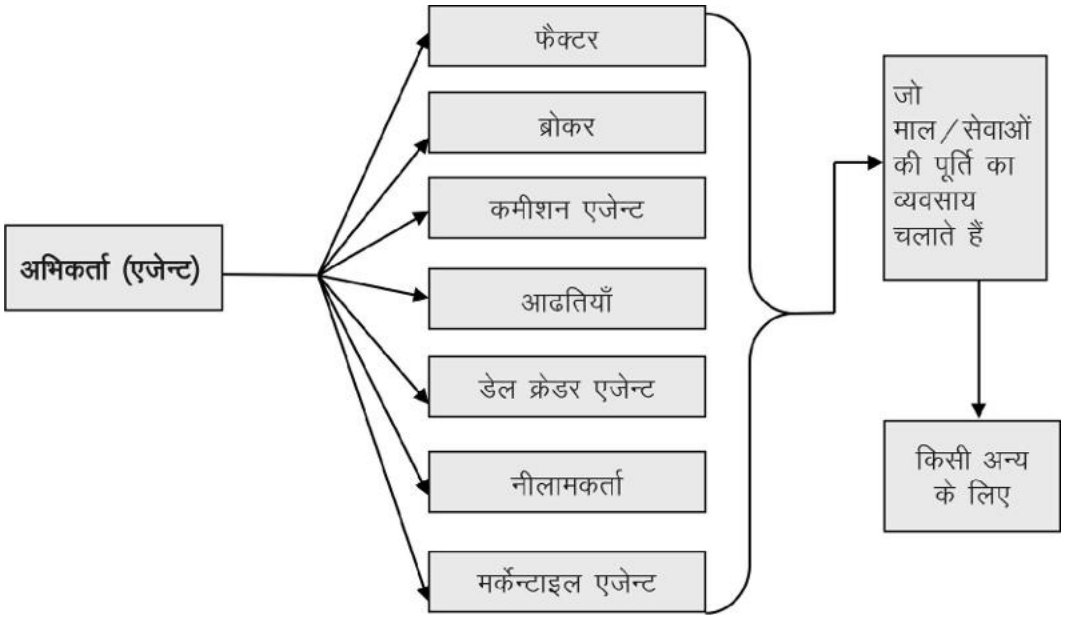

[1] CGST नियमावली की पूर्ति के मूल्य का निर्धारण अंतिम स्तर पर चर्चित किया जाएगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

- **उपकर** का वही आशय है जो कि GST (Compensation to States) Act, में दिया गया है। [धारा 2(22)]
- **प्रतिफल** माल/सेवाओं की पूर्ति के संदर्भ में इसमें शामिल है–

(a) कोई, किया गया या सहमत भुगतान, चाहे मौद्रिक हो अथवा अन्यथा, जो माल/सेवाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में, के प्रत्युत्तर में, या पृवर्त करने के लिये, चाहे प्राप्तकर्ता द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परन्तु इसमें शामिल नहीं है केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता;

(b) किसी कार्य को करने या उससे विरत रहने का मौद्रिक मूल्य, जिसके सम्बन्ध में, जिसके प्रत्युत्तर में अथवा पृवर्त करने के लिये, माल सेवाओं की पूर्ति चाहे प्राप्तकर्ता द्वारा अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा परन्तु इसमें शामिल नहीं है केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता; उल्लिखित है कि माल/सेवाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में प्रदत्त कोई जमा राशि को पूर्ति के लिये भुगतान नहीं समझा जायेगा, जब तक कि पूर्तिकर्ता ऐसी पूर्ति के सम्बन्ध में जमा को प्रतिफल के रूप में लागू नहीं करता है। [धारा 2(31)]

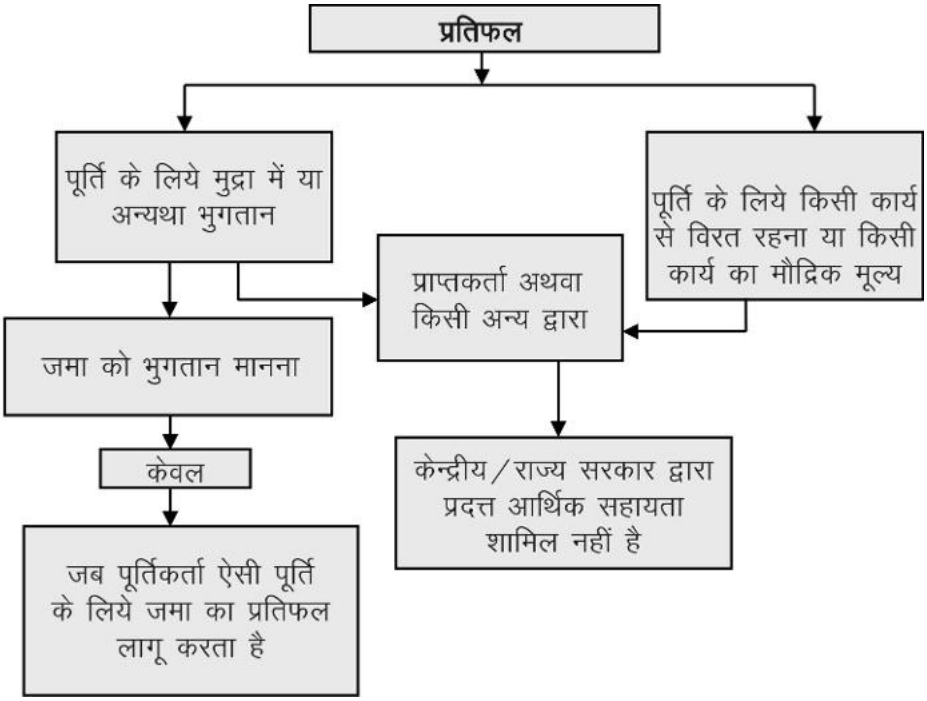

- **बाजार कीमत** ऐसी पूर्ण राशि जिसका भुगतान पूर्तिकर्ता को अपेक्षित है, उसी मात्रा और गुणवत्ता की वस्तु सेवाएँ/माल प्राप्त करने के लिये अथवा लगभग उसी समय अथवा समान व्यावसायिक स्तर पर जब प्राप्तकर्ता एवं पूर्तिकर्ता सम्बन्धित नहीं हैं धारा 2(73)]

© The Institute of Chartered Accountants of India

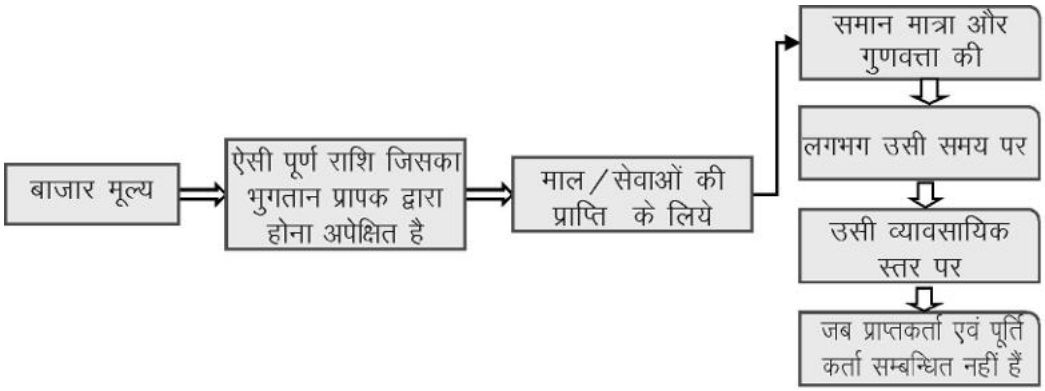

➢ **मुद्रा** का आशय भारतीय वैधानिक चलन या कोई विदेशी चलन, चेक, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय विपत्र, साखपत्र, ड्राफ्ट, पे–ऑर्डर, यात्री चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल या इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्य कोई अन्य प्रपत्र जब किसी दायित्व के निपटारे के लिये प्रतिफल के रूप में प्रयुक्त अथवा भारतीय विधिक मुद्रा से विनिमय के लिये, परन्तु इसमें शामिल नहीं होगी कोई ऐसी मुद्रा जो अपने मुद्रा शास्त्रीय मूल्य के लिये धारित है [धारा 2(75)]

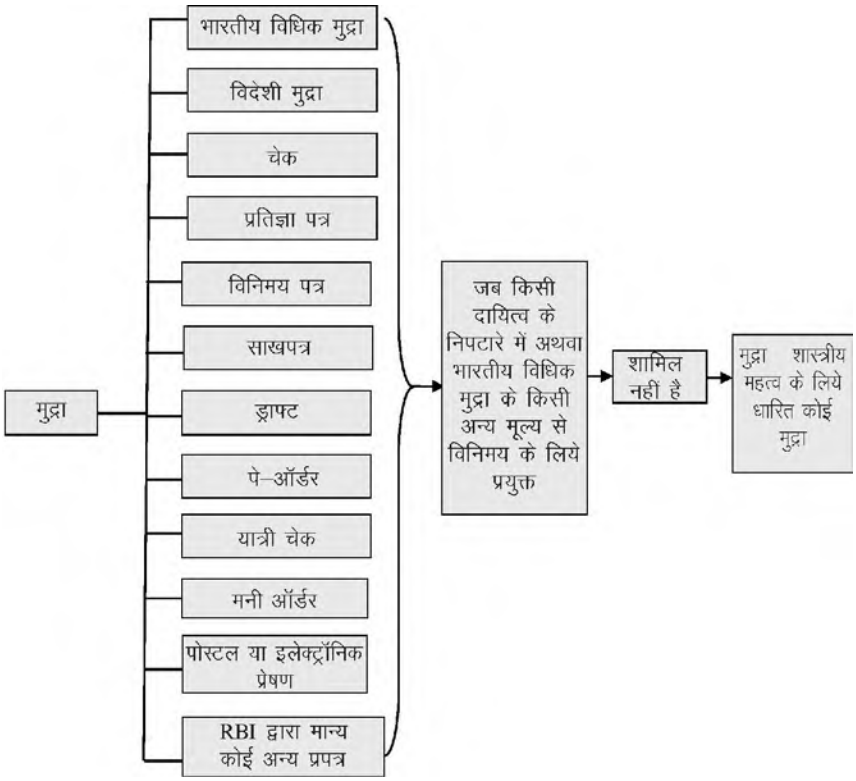

➢ **व्यक्ति** में शामिल हैं–

(a) कोई व्यक्तिः

© The Institute of Chartered Accountants of India

(b) हिन्दू अविभाजित परिवार;

(c) एक कम्पनी;

(d) एक फर्म;

(e) सीमित्व दायित्व साझेदारी;

(f) व्यक्तियों की संघ, अथवा व्यक्तियों का समुदाय, चाहे भारत में या भारत से बाहर निगमित हो या नहीं हो;

(g) किसी केन्द्रीय/राज्य या प्रादेशिक अधिनियम के अधीन या के द्वारा स्थापित कोई नियम अथवा सरकारी कम्पनी जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित है;

(h) भारत के बाहर किसी देश के विधान के अधीन या उसके द्वारा कोई निगमित निकाय

(i) सहकारी समितियों सम्बन्धी किसी विधान के अधीन पंजीकृत एक सहकारी समिति;

(j) स्थानीय प्राधिकरण;

(k) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार

(l) समितियाँ पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन परिभाषित समिति

(m) ट्रस्ट, और

(n) प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो उपर्युक्त किसी के अन्तर्गत नहीं आता। [धारा 2(84)]

अन्य संगत परिभाषाओं, जैसे प्राप्तकर्ता, आपूर्तिकर्ता इत्यादि को इस अध्याय की ईकाई 1 में दी गई परिभाषाओं से संदर्भित किया जा सकता है।

3. पूर्ति का मूल्य (धारा 15) [Value of Supply (Section 15)]

वैधानिक प्रावधान		
धारा 15	**कर योग्य पूर्ति का मूल्य**	
उप–धारा	**वाक्य**	**विवरण**
(1)	माल/सेवाओं की पूर्ति का मूल्य, संव्यवहार मूल्य होगा, जो माल/सेवाओं की ऐसी पूर्तियों के लिये देय या चुकता है, जहाँ पूर्तिकर्ता और पूर्ति का प्राप्तकर्ता सम्बन्धित नहीं है और मूल्य ही पूर्ति का एकमात्र प्रतिफल है।	
(2)	पूर्ति के मूल्य में शामिल है– (a) तत्समय प्रभावी किसी विधान के अधीन वसूली योग्य कोई कर शुल्क या उपकर जिनका सम्बन्ध इस अधिनियम अथवा SGST Act, UTGST Act और GST (क्षतिपूर्ति) अधिनियम से नहीं है, यदि पूर्तिकर्ता द्वारा पृथक् वसूल किये गये हैं।	

© The Institute of Chartered Accountants of India

	(b) ऐसी कोई राशि जो ऐसी पूर्ति के सम्बन्ध में पूर्तिकर्ता का भुगतान दायित्व है, परन्तु ऐसी पूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा वहन की गयी है और माल/सेवाओं के लिये वास्तविक देय मूल्य में शामिल नहीं है, (c) संलग्न वास्तविक व्यय, जिसमें शामिल है पूर्तिकर्ता द्वारा पूर्ति के प्राप्तकर्ता से वसूल कमीशन और पैकेजिंग व्यय और पूर्तिकर्ता द्वारा किये गये किसी कार्य के लिये ऐसी पूर्ति से सम्बन्धित किसी राशि की प्राप्तकर्ता से वसूली, जो माल/सेवाओं की सुपुर्दगी से पूर्व अथवा उस समय की गई है। (d) किसी पूर्ति हेतु प्रतिफल के भुगतान में देरी के लिये कोई ब्याज, शुल्क या अर्थदण्ड (e) मूल्य से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित आर्थिक सहायताएँ, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता को छोड़कर **स्पष्टीकरण**–इस उपधारा के उद्देश्य के लिये, आर्थिक सहायता की राशि पूर्तिकर्ता की पूर्ति के मूल्य में शामिल होगी जो आर्थिक सहायता प्राप्त करता है।
(3)	पूर्ति के मूल्य में ऐसी कटौती शामिल नहीं होगी, जो प्रदत्त है (a) पूर्ति के समय या उस से पूर्व, यदि उस पूर्ति के सम्बन्ध में ऐसी कटौती का बीजक में उचित उल्लेख किया गया है; और
	(b) पूर्ति होने के पश्चात यदि– (i) यदि ऐसी पूर्ति के समय या उससे पूर्व ऐसी किसी कटौती समझौते के अधीन ऐसी कटौती स्थापित शर्तों के अधीन है और सम्बन्धित बीजकों से विशेष रूप से सम्बन्धित है; और (ii) पूर्तिकर्ता द्वारा निर्गमित प्रपत्र के आधार पर स्वीकृत कटौती सम्बन्धी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो पूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा वापस ले ली गयी है।
(4)	यदि माल/सेवाओं की पूर्ति का मूल्य उपधारा (1) के अधीन निर्धारित नहीं किया जा सका है, उसका निर्धारण ऐसी विधि से किया जायेगा जो निर्धारित की जाय।
(5)	उपधारा (1) या उपधारा (4) में उल्लिखित किसी बात पर ध्यान दिये बिना, परिषद की अनुशंसा पर सरकार द्वारा अधिसूचित पूर्तियों के मूल्य का निर्धारण उस रीति से किया जायेगा, जैसी कि निर्धारित की जाय।
स्पष्टीकरण–इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिये–	
(a)	व्यक्तियों को सम्बन्धित 'व्यक्ति' माना जायेगा, यदि– (i) ऐसे व्यक्ति, एक–दूसरे के व्यवसाय में अधिकारी या संचालक हैं। (ii) ऐसे व्यक्ति किसी व्यवसाय में विधिक रूप से मान्य साझेदार हैं। (iii) ऐसे व्यक्ति नियोक्ता और कर्मचारी हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	(iv) कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन दोनों के अदत्त मताधिकारी स्टॉक या अंशों के 25% या अधिक का स्वामी, नियंत्रक या धारक है। (v) इनमें से कोई एक दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है। (vi) दोनों व्यक्ति, किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित हैं। (vii) ये दोनों मिलकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तृतीय व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं; अथवा वे एक ही परिवार के सदस्य हैं।
(b)	'व्यक्ति' शब्द में शामिल है 'विधायी व्यक्ति' भी
(c)	ऐसे व्यक्ति जो एक–दूसरे के व्यवसाय में सहयोगी हैं; जैसे कि एक–दूसरे के एक मात्र विक्रेता या एकमात्र वितरक या एकमात्र रियायतग्राही है, किसी भी रूप में वर्णित हैं, सम्बन्धित माने जायेंगे।

विश्लेषण (Analysis)

निम्नांकित स्थितियों में माल/सेवाओं की पूर्ति के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में GST विधान में विभिन्न प्रावधान हैं–

- ➔ असम्बन्धित व्यक्तियों के (मुद्रा में प्रतिफल के लिये) मुद्रा में मूल्य हेतु की गई पूर्तियाँ ⟹ धारा 15 की उपधारा (1);
- ➔ गैर मौद्रिक प्रतिफल के लिये या आंशिक मौद्रिक और आंशिक अन्य रूप में, अतिरिक्त प्रतिफल निहित, या सम्बन्धित व्यक्तियों को, पूर्ति अथवा धारा 15 की उपधारा (4) एवं (5) के अधीन पूर्ति की निर्दिष्ट श्रेणियों को अध्याय–IV : CGST नियमों के अधीन पूर्ति के मूल्य का निर्धारण के साथ पढ़ने पर। धारा 15 के स्पष्टीकरण में सम्बन्धित व्यक्तियों को परिभाषित किया गया है जिससे नियंत्रण की विभिन्न स्थितियों पर विचार किया जा सके, जिनमें शामिल है–एक मात्र विक्रेता/वितरक और एक मात्र रियायतग्राही। सम्बन्धित व्यक्ति की अवधारणा आगामी पेज संख्या 5.49 पर चित्र के माध्यम से व्यक्त की गई है।

(A) असम्बन्धित व्यक्तियों की पूर्तियाँ जहाँ मूल्य ही एक मात्र प्रतिफल है :

(i) लेन–देन का मूल्य [धारा 15 (1)]

जब माल/सेवाओं की पूर्ति का अनुबन्ध किया जाता है

- ➢ ऐसे दो व्यक्तियों के मध्य जो एक–दूसरे से असम्बन्धित हैं ('सम्बन्धित व्यक्ति' या व्यक्ति की परिभाषा पढ़ें) धारा 15 के स्पष्टीकरण में प्रदत्त है, और
- ➢ पूर्ति के लिये मूल्य एकमात्र प्रतिफल है (प्रतिफल की परिभाषा पढ़ें)

पूर्ति का मूल्य 'संव्यवहार मूल्य' होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

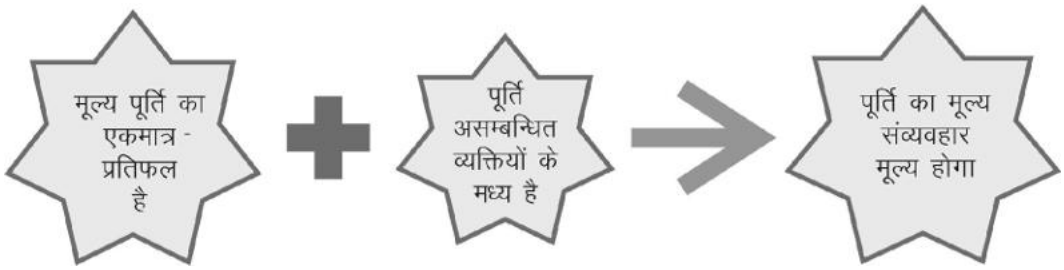

धारा 15 (1) के अंतर्गत संव्यवहार मूल्य, जो असम्बन्धित व्यक्तियों के मध्य लागू होता है, जहाँ पूर्ति हेतु मूल्य ही एकमात्र प्रतिफल होता है –

माल या सेवाओं या दोनों की कथित पूर्ति हेतु वास्तविक रूप से दत्त या देय मूल्य होता है।

यह विशिष्ट पूर्ति हेतु मूल्य होता है, जिसकी कीमत लगायी जाती है। इसमें उस समय पहले से ही दत्त राशि भी शामिल होती है जब कर हेतु पूर्ति का मूल्यांकन किया जाता है, साथ ही साथ उस समय तक देय राशि पर दत्त नहीं । 'देय शब्द का आशय उस मूल्य से है जो माल/सेवाओं हेतु भुगतान किए जाने के लिए सहमत होता है।

उदाहरण

व्यवसाय के सामान्य प्रयोग में X लिमिटेड द्वारा विक्रय किए गए सीमेन्ट के 1 MT हेतु थोक मूल्य ₹ 7,000 है।

X लिमिटेड द्वारा Y को विक्रय किए गए सीमेन्ट के 1 MT का मूल्य ₹ 6,700 है।

X लिमिटेड द्वारा Y को की गई पूर्ति का मूल्य ₹ 6,700 है, जो कि वास्तविक रूप से दत्त या देय मूल्य है तथा न कि थोक मूल्य।

कर योग्य माल/सेवाओं की पूर्ति का मूल्य प्रायः ''संव्यवहार मूल्य'' होगा जो देय या चुकता मूल्य है, जब पक्षकार सम्बन्धित व्यक्ति नहीं हैं और मूल्य एक मात्र प्रतिफल है। CGST Act की धारा 15 में विभिन्न निहित एवं अनिहित तत्वों को वर्णित किया गया है, जिनका सम्बन्ध संव्यवहार मूल्य से है। उदाहरणार्थ संव्यवहार मूल्य में शामिल नहीं है, कुछ शर्तों के अधीन कटौती।

© The Institute of Chartered Accountants of India

सम्बन्धित व्यक्ति [धारा 15 का स्पष्टीकरण]

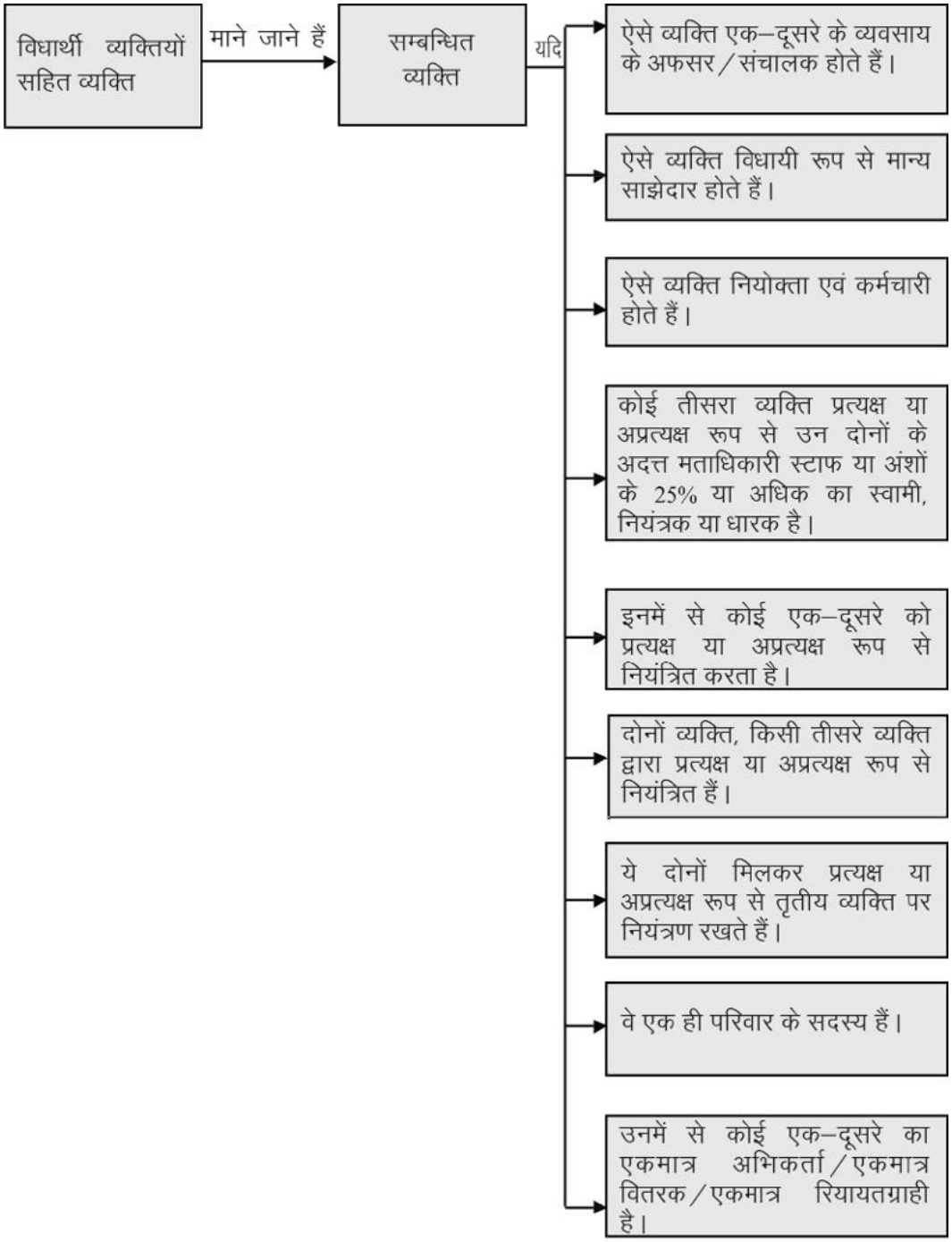

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) मूल्य में समावेश [धारा 15(2)]

पूर्ति के मूल्य में कुछ विशिष्ट तत्व शामिल होते हैं, जिन्हें नीचे वर्णित एवं विवेचित किया गया है–

- करों, कर्तव्यों, उपकर, फीस और CGST, SGST, UTGST, GST मुआवजा उपकर, अगर अलग से चार्ज किया जाता है।
- तृतीय पक्ष को भुगतान–ऐसी कोई राशि जिसका भुगतान पूर्तिकर्ता को करना है, परन्तु पूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा वहन की गयी है, और मूल्य में पहले से शामिल नहीं है।
- संलग्न व्यय, जैसे कि कमीशन एवं पैकिंग, जिन्हें पूर्ति के पूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता से वसूल किया गया है।
- ऐसी कोई राशि जो कि पूर्तिकर्ता द्वारा किये गये किसी कार्य के लिये है जोकि माल/सेवाओं की पूर्ति के समय या उससे पूर्व व्यय की गयी है।
- प्रतिफल के देरी से भुगतान के कारण वसूलनीय ब्याज, शुल्क या अर्थदण्ड
- मूल्य से सम्बन्धित, किसी भी रूप में प्रदत्त आर्थिक सहायता/(केन्द्र राज्य/सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता को छोड़कर)।

उपर्युक्त तत्वों की नीचे विवेचना की गयी है।

GST एवं GST मुआवजा उपकर [धारा 15(2) (a)] के अलावा कर

किसी भी कानून के तहत लागू होने वाले किसी भी कर, शुल्क, उपकर, फीस और खर्च को CGST अधिनियम, SGST अधिनियम, UTGST अधिनियम और GST (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम को छोड़कर, यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा अलग से वसूला जाता है, तो आपूर्ति के मूल्य में शामिल होता है। अंतर्राज्य बिक्री के मामले में, आपूर्ति के मूल्य में IGST अधिनियम की धारा 20 के तीसरे प्रावधान के अनुसार IGST और GST मुआवजा उपकर शामिल होंगे। वास्तव में, सभी कर, शुल्क आदि जो GST में शामिल नहीं हैं, GST लागू करने के उद्देश्य से कर योग्य मूल्य का हिस्सा है।

उदाहरण के लिए, यदि माल का आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किए जा रहे माल के संबंध में नगर निगम कर का भुगतान करता है तो ऐसा कर आपूर्ति के मूल्य का हिस्सा होगा।

आय के तहत TCS कर अधिनियम 1961 में GST के उद्देश्य के लिए कर योग्य मूल्य में शामिल नहीं है : CBIC के परिपत्र संख्या 76/50/2018 GST दिनांक 31.12.2018 (संशोधित शुद्धिपत्र दिनांक 07.03.2019) में स्पष्ट किया गया है कि GST के तहत आपूर्ति के मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत स्रोत (TCS) पर एकत्रित कर शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह एक अंतरिम लेवी है जिसमें कर का चरित्र नहीं है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

पूर्ति के सम्बन्ध में विक्रेता की ओर से प्रापक द्वारा तृतीय पक्षों को किया गया भुगतान [धारा 15 (2) (b)]

पूर्तिकर्ता को माल/सेवा की पूर्ति के सम्बन्ध में विभिन्न व्यय करने पड़ सकते हैं। सामान्य स्थिति में, वह ऐसी राशि का भुगतान करेगा और वह ग्राहक (पूर्ति का प्राप्तकर्ता) से वसूल योग्य मूल्य का भाग बन जायेंगे।

तथापि, भले ही ग्राहक ऐसे कुछ (पूर्तिकर्ता के) दायित्वों का भुगतान तृतीय पक्षों को करता है और पूर्तिकर्ता उनको बिल में शामिल नहीं करता है, ये व्यय तब भी पूर्ति के कर योग्य मूल्य का भाग हैं। यहाँ एक ध्यान रखने योग्य बिंदु है कि प्राप्तकर्ता द्वारा तृतीय पक्षों को भुगतान की गई राशि इस धारा के अन्तर्गत सिर्फ तभी मूल्य में जोड़ी जाएगी जब पूर्तिकर्ता ऐसे तृतीय पक्षों को भुगतान करने हेतु अनुबंधात्मक दायित्व के अधीन हो तथा कथित भुगतान ऐसी पूर्ति के सम्बन्ध में हो।

ग्रान्ड बिज ABC Co. से अनुबन्ध करता है कि उसको एक डीलर्स सभा का संचालन करता है। जिसके अभ्युदय में ग्रान्ड बिज विभिन्न वेन्डर्स से माल सेवाओं की पूर्ति के अनुबन्ध करता है जैसे–पानी सोफ्ट ड्रिंक्स, ऑडियो सिस्टम, प्रोजेक्टर्स, कैटरिंग, फूल आदि जो कि निश्चित तिथियों को निश्चित मूल्यों पर सभा स्थान पर पूरित किये जाने हैं। ग्रान्ड बिज, ऐसे अनुबंधित कार्यों के भुगतान के लिये दायी है। सोफ्ट ड्रिंक्स का पूर्तिकर्ता सुपुर्दगी पर भुगतान चाहता है;

ABC Co. इसके लिये सहमत हो जाती है कि वह सोफ्ट ड्रिंक्स विक्रेता द्वारा Grand Biz को बिल का भुगतान सोफ्ट डिंक्स की क्रेटस प्राप्त करते समय कर देगा। यह राशि ग्रान्ड बिज द्वारा ABC Co. को बिल में शामिल नहीं की गयी। तथापि, यह राशि ग्रान्ड बिज द्वारा ABC Co. को GST के भुगतान हेतु प्रदत्त सेवाओं के कर योग्य मूल्य में शामिल की जायेगी।

संलग्न व्यय [धारा 15 (2) (c)]

संलग्न व्यय जैसे कमीशन और पैकिंग पूर्तिकर्ता द्वारा वसूल अथवा माल की सुपुर्दगी या सेवाओं की पूर्ति से पूर्व या उसी समय पूर्तिकर्ता द्वारा किये गये अन्य पूर्ति सम्बन्धी अन्य कोई कार्य, को मूल्य में अवश्य शामिल करना चाहिये।

कमीशन–इनका भुगतान किसी अभिकर्ता को किया गया हो जिसकी वसूली माल/सेवाओं के क्रेता से की गयी है; यह पूर्ति के मूल्य का भाग होता है।

पैकिंग–यदि पूर्तिकर्ता ने पैकिंग की लागत प्राप्तकर्ता से वसूल की है उसको पूर्ति के मूल्य में शामिल किया जाना चाहिये

जाँच या प्रमाणन शुल्क–अन्य तत्व है जिसको मूल्य में शामिल किया जाता है यदि पूर्ति के प्राप्तकर्ता से वसूल की गयी है।

स्थापना एवं परीक्षण शुल्क–पूर्ति करते समय पूर्ति के सम्बन्ध में पूर्तिकर्ता द्वारा किये गए कार्य हेतु वसूली गयी राशि जो कि प्राप्तकर्ता के स्थान पर व्यय हो, भी जोड़ी जाएगी।

पूर्ति से पूर्व भार व्यय, लदाई एवं डिजाइनिंग शुल्क

बाह्य भाड़ा, वाहनस्थ बीमा

© The Institute of Chartered Accountants of India

जहाँ पूर्तिकर्ता क्रेता के परिसर मे माल की सुपुर्दगी हेतु सहमत होता है। तथा परिवहन हेतु (अनुबंध के लिए) व्यवस्था करता है तो पूर्ति का अनुबंध संयुक्त पूर्ति बन जाता है जिसमें प्रधान पूर्ति माल की पूर्ति होती है। इसलिए, बाह्य भाड़ा संयुक्त पूर्ति के मूल्य का भाग बन जाता है तथा, उस पर उसी दर से GST देय होता है, जितना कि यथोचित माल हेतु लागू। हालांकि यदि पूर्ति हेतु अनुबंध कारखाना रहित आधार पर हो, जहाँ क्रेता बाह्य भाड़े का भुगतान करता है तो उसे माल की पूर्ति के मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा। समानतः माल की पूर्ति के अनुबंधों हेतु, मार्गस्थ बीमा भी संयुक्त पूर्ति के मूल्य का भाग बन जाएगा।

विलम्बित भुगतान हेतु ब्याज, बिलम्ब शुल्क एवं अर्थदण्ड धारा [15 (2) (d)]

पूर्ति के मूल्य में न केवल आधार मूल्य शामिल होगा, वरन भुगतान में देरी के चार्ज भी शामिल किये जायेंगे।

उदाहरण ₹ 2000 की पूर्ति 1 माह की साख अवधि के साथ की गयी। तत्पश्चात 12% ब्याज देय है। भुगतान पूर्ति की तिथि से दो माह पश्चात प्राप्त हुआ। 12% ब्याज देय है। 12% प्रतिवर्ष की दर से 1 माह का ब्याज 1% प्रतिमाह माह ₹ 20 होगा। जिसको कर योग्य पूर्ति के मूल्य में जोड़कर पूर्ति का मूल्य ₹ 2,020 होगा। ब्याज को GST रहित मानते हुए।

ऐसा ब्याज/विलम्ब शुल्क/जुर्माना की आपूर्ति का वह समय है जब आपूर्तिकर्ता द्वारा यह राशि प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त, चूंकि ऐसे प्रभार आपूर्ति के मूल्य में वृद्धि है; माल/सेवा की मुख्य आपूर्ति पर लागू होने वाली कर की वही दर, ऐसे शुल्कों पर भी लागू होती है।

आर्थिक सहायता [धारा 15 (2) (e)]

आर्थिक सहायता ऐसी राशि है जिससे माल या सेवा का मूल्य कम रखा जा सके यदि आर्थिक सहायता केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है, आर्थिक सहायता के समायोजन पश्चात, निचला मूल्य ही मूल्य होता है। यदि आर्थिक सहायता, केन्द्र/राज्य सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा प्रदान की गयी हो, तब, इस राशि से मूल्य में कमी नहीं की जाती है आर्थिक सहायता को पूर्तिकर्ता के पूर्ति मूल्य में जोड़ा जाता है, जो कि आर्थिक सहायता प्राप्त करता है।

उदाहरण किसी नोटबुक का विक्रय मूल्य ₹ 50 है। सरकारी स्कूल के छात्रों को बेची गयी नोटबुक के लिए एक कम्पनी अपने CSR कोष का प्रयोग करते हुऐ विक्रेता को ₹ 30 का भुगतान करती है जिससे छात्रों को ₹ 20 प्रति नोटबुक भुगतान करना पड़े। नोटबुक का मूल्य ₹ 50 ही होगा, क्योंकि, यह एक गैर सरकारी आर्थिक सहायता है। यदि इसका भुगतान केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा किया जाता, नोटबुक का मूल्य ₹ 20 प्रति इकाई होगा।

(iii) मूल्य से छूट का अपवर्जन [धारा 15(3)]

छूट व्यवसायों के लिए एक आम घटना है। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ग्राहकों को अनेक प्रकार की छूट दी जाती है, अर्थात् व्यापार छूट, नकद छूट, मात्रा/आयतन/कार्य छूट आदि ऐसी

© The Institute of Chartered Accountants of India

छूट आपूर्ति के बिक्री मूल्य में कमी कर दी गई है। चूंकि कर योग्य आपूर्ति का मूल्य लेनदेन मूल्य है, छूट की कटौती के बाद मूल्य पर GST लगाया जाता है।

तथापि आपूर्ति द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सभी छूट को मूल्य से कटौती के रूप में अनुमत होती है। धारा 15(3) में निर्धारित शर्तों का सार यह है कि आपूर्ति के समय स्थापित मूल्य का आधार होना चाहिए।

केवल वही छूट जो धारा 15(3) में निर्धारित शर्तों को पूरा करती है, मूल्य से कटौती के रूप में अनुमत होती है। जो छूट धारा 15(3) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, मूल्य से कटौती नहीं कर सकते हैं अर्थात् ऐसे मामले में GST छूट पर विचार किए बिना आपूर्ति के सकल मूल्य पर लगाया जाता है।

मूल्य से कटौती के रूप में छूट की अनुमति निम्नानुसार है—

(a) **आपूर्ति के समय पहले या उससे पहले दी गई छूट और चालान में दिखाया गया है**—उदाहरण के लिए ऐसी छूट में छूट वह हो सकती है जो आपूर्ति के समय स्वयं भुगतान करने के लिए अनुमत होती है। इस प्रकार, इस प्रकार की छूट को इनवॉइस में दर्ज किया गया है और इस प्रकार, GST को इनवॉइस में अभिलिखित सकल मूल्य पर कम छूट पर प्रभारित किया जाता है।

(b) **आपूर्ति के बाद छूट**—हमेशा व्यावसायिक रूप से यह संभव नहीं है कि आपूर्ति के समय या पहले या इनवॉइस में सभी छूट का निर्धारण किया जाए। उदाहरण के लिए, एक निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने के लिए दिया गया नकद छूट। हालांकि आपूर्ति के समय/समय पर छूट की स्थापना की जाती है, तथापि आपूर्तिकर्ता बीजक में ऐसी छूट को अभिलिखित नहीं कर सकता है क्योंकि उसे नहीं पता है कि विक्रेता निर्धारित समय के भीतर भुगतान कर सकता है या नहीं। इसी प्रकार मात्रा/आयतन/निष्पादन छूट के मामले में भी, आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति के समय/समय से पहले/पता नहीं है कि क्या क्रेता निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित मात्रा खरीदता है। इसलिए, इस मामले में भी इनवॉइस में छूट दर्ज नहीं की जा सकती है। ऐसे मामलों में शुरू में छूट पर विचार किए बिना इनवॉइस में सूचित सकल मूल्य पर GST का भुगतान किया जाता है। तथापि, आपूर्तिकर्ता बाद में क्रेडिट नोट जारी करके खरीदार को बट्टा देता है।

आपूर्ति के बाद दी जाने वाली छूट अर्थात् यदि निम्नलिखित दो शर्तों की पूर्ति की जाती है तो आपूर्ति के मूल्य से कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है।

- ✓ बट्टा उस समझौते के संदर्भ में होता है जो आपूर्ति के समय विद्यमान था और चालान के आधार पर उसका निष्पादन किया जा सकता है, तथा
- ✓ प्राप्तकर्ता द्वारा आनुपातिक इनपुट कर क्रेडिट उलट दिया गया है। खरीदार इनवॉइस में निर्दिष्ट सकल मूल्य पर GST का भुगतान करेगा। इस प्रकार, जब आपूर्तिकर्ता द्वारा छूट के लिए उसे क्रेडिट नोट[2] जारी किया जाता है तो

[2] GST कानून के तहत शासित क्रेडिट नोट धारा 34 के तहत जारी किए जाते हैं। धारा 34 के प्रावधानों पर अध्याय 8 में चर्चा की गई है : कर चालान, क्रेडिट और डेबिट नोट्स : ई–वे बिल।

© The Institute of Chartered Accountants of India

क्रेता उस आनुपातिक ऋण को उल्टा कर देगा जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता का निर्गम कर दायित्व उसी राशि से घटा दिया जाएगा।

अगर उपर्युक्त शर्तों में से कोई भी संतुष्ट नहीं है, तो आपूर्तिकर्ता की GST देयता कम नहीं की जा सकती। तथापि, आपूर्तिकर्ता बट्टे के मूल्य के लिए एक वाणिज्यिक क्रेडिट नोट[3] जारी कर सकते हैं। ऐसे परिदृश्य में, क्रेता को किसी इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रतिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

छूट के भत्ते के लिए मूल्य से कटौती के रूप में प्रावधान निम्न पृष्ठ में दिए गए रेखाचित्र के रूप में दर्शाए गए हैं।

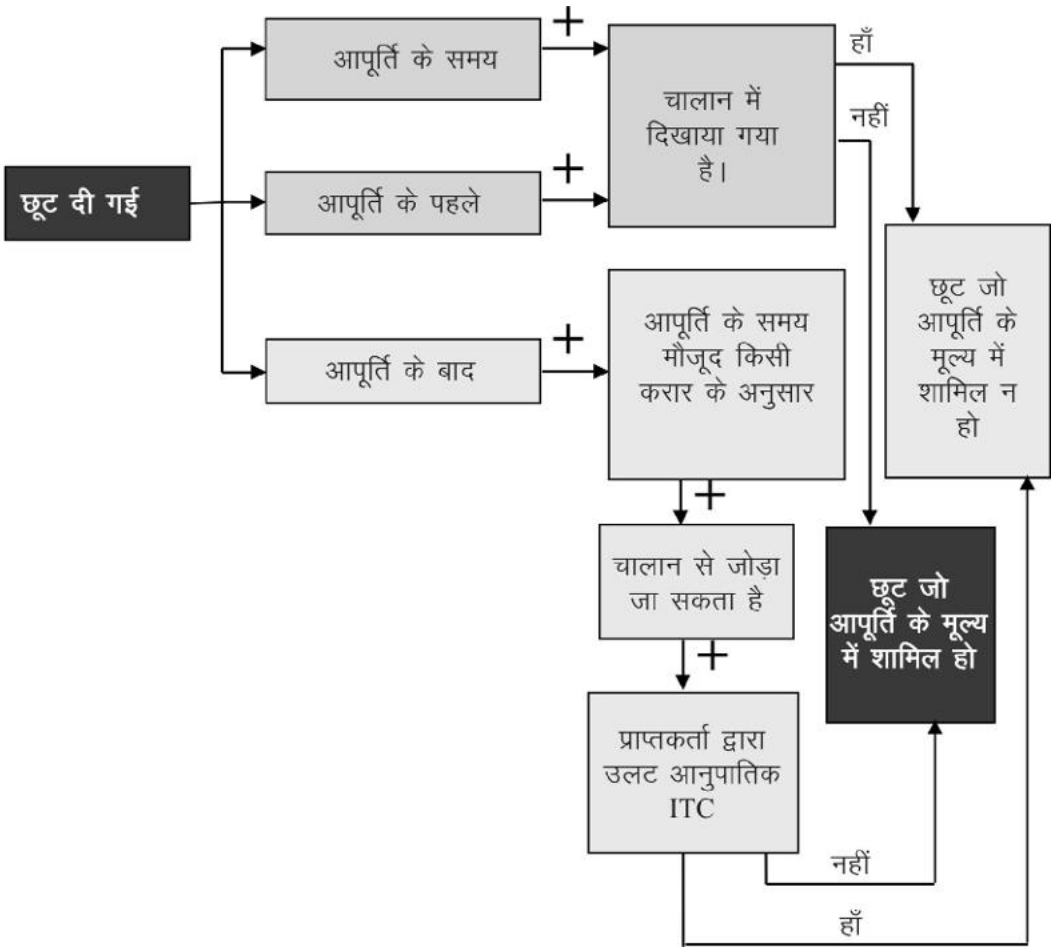

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली कुछ विशिष्ट प्रकार की छूट की अनुमति जैसा कि दिनांक 07.03.2019 दिनांकित परिपत्र सं. 92/11/2019 GST द्वारा स्पष्ट किया गया है।

[3] एक वाणिज्यिक क्रेडिट नोट GST कानून के अधीन नहीं होता है और केवल उसी GST के बिना आपूर्ति के मूल्य में कटौती/कटौती के लिए जारी किया जाता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(i) कंपित छूट (ज्यादा खरीदो, ज्यादा बचाओ' प्रस्ताव) : कंपित छूट के मामले में; खरीद मात्रा में वृद्धि के साथ छूट की दर बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए—₹ **5,000** से अधिक की खरीद पर **10%** की छूट, ₹ **10,000** से अधिक की खरीद पर **20%** की छूट और ₹ **20,000** से अधिक की खरीद पर **30%** की छूट प्राप्त करें। ऐसी छूट इनवॉइस पर ही दिखाई जाती है।

ऐसी छूट की आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण करने के लिए वर्जित किया गया है।

(ii) आवधिक/वर्ष समाप्त छूट/मात्रा छूट : ये छूट आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके स्टॉकिस्टों आदि को दी जाती है। उदाहरण के लिए—अगर आप साल में **10,000** पीस खरीदते हैं तो **1%** की अतिरिक्त छूट लें, अगर आप एक साल में **15,000** पीस खरीदते हैं तो **2%** की अतिरिक्त छूट लें। ऐसी छूट, आपूर्ति के समय में या उससे पहले के करार के अनुसार स्थापित की जाती है यद्यपि इनवॉइस में यह प्रदर्शित नहीं की गई है चूंकि ऐसी छूट की वास्तविक प्रमात्रा आपूर्ति के प्रभाव के पश्चात् तथा सामान्य तौर पर वर्ष के अंत में निर्धारित की जाती है। वाणिज्यिक भाषा में, ऐसी छूट को बोलचाल भाषा में "मात्रा छूट" कहा जाता है। आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रेडिट नोट्स के माध्यम से ऐसी छूट पारित की जाती है।

ऐसी छूट को आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण करने के लिए नहीं कहा जाता है। बशर्ते वे **CGST** अधिनियम की धारा **15** के उप–धारा **(3)** में निर्धारित मापदण्डों को संतुष्ट करते हैं, जिसमें आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी दस्तावेजों के आधार पर **ITC** का उलट होना भी शामिल है।

(iii) द्वितीयक छूट : यह छूट आपूर्ति के समय ज्ञात नहीं होती है या आपूर्ति की अवधि समाप्त होने पर दी जाती है। उदाहरण के लिए–**M/s A** ₹ **10** प्रति पैकेट पर **M/s B** को **10,000** पैकेट भेजता है। इसके बाद **M/s A** ₹ **9** प्रति पैकेट पर इसे फिर से पुनः मूल्य करता है। इसके बाद **M/s A** ₹ **1** प्रति पैकेट के लिए **M/s B** को क्रेडिट नोट जारी करता है।

ऐसी माध्यमिक छूट को आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण करते समय अपदस्थ नहीं किया जाएगा क्योंकि ऐसी छूट आपूर्ति के समय ज्ञात नहीं है और **CGST** अधिनियम की धारा **15** की उप–धारा **(3)** के खण्ड **(b)** में निर्धारित शर्तों से संतुष्ट नहीं है।

यह नोट किया जा सकता है कि **CGST** अधिनियम की धारा **15** के उप–धारा **(3)** के खण्ड **(b)** में उल्लिखित शर्तों से भी आपूर्तिकर्ता द्वारा वित्तीय/वाणिज्यिक क्रेडिट नोट जारी किए जा सकते हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

आपूर्ति के मूल्य में कटौती के उदाहरण :

(i) रॉयल बिस्किट कम्पनी अपने वितरकों को सूची मूल्य पर 30% की छूट देता है। इस प्रकार, स्पाइसबिस्क के एक दफ्ती के लिए, इनवॉइस में सूची मूल्य ₹ 200 के रूप में वर्णित है, जिस पर ₹ 140 के अंतिम मूल्य पर पहुँचने के लिए 30% की छूट दी जाती है। कीमत ₹ 140 है, क्योंकि आपूर्ति के समय छूट की अनुमति दी जाती है और इनवॉइस में दिखाया जाता है।

आपूर्ति के बाद छूट :

(ii) राजू बिजली उपकरण व्यापारियों के साथ यह समझौता करता है कि चावल के कुकरों पर दीवाली महीने से 1000 से अधिक पीस की खरीद पर उन्हें 5% प्रति कुकर तक की छूट मिल सकती है। इसलिए, बट्टा की प्रमात्रा का निर्धारण केवल दीवाली माह के अंत में किया जा सकता है। तथापि, चूंकि आपूर्ति के समय छूट से संबंधित करार अस्तित्व में था और प्रत्येक बीजक के लिए छूट का हिसाब किया जा सकता है, अतः आपूर्ति के बाद दिए जाने वाले बट्टा को चावल कुकर की आपूर्ति के मूल्य से कटौती के रूप में अनुमत किया जाएगा।

राजू बिजली उपकरण GST और अतिरिक्त कर भुगतान के दाबे समायोजन के साथ माल के मूल्य के 5% के लिए क्रेडिट नोट जारी कर सकते हैं। वितरक को प्रासंगिक स्टॉक पर आनुपातिक इनपुट टैक्स क्रेडिट को उलटना होगा ताकि वह कम कर के अनुरूप हो।

(iii) पिंक और ब्लू प्राइवेट लि. (PBPL) ने 5 जनवरी को ऑरेंज प्रा.लि. (OPL) को ₹ 50,000 (कर और छूट के अलावा) में माल बेचा और IGST 10% के रूप में ₹ 9,000 का शुल्क लिया। आपूर्ति की शर्तें यह तय की गई थीं कि यदि आपूर्ति के एक महीने के भीतर भुगतान किया जाता है तो 2% की छूट OPL को दी जाएगी। OPL जनवरी माह में ₹ 9,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करता है और माल के लिए 10 फरवरी को भुगतान करता है। PBPL 11 फरवरी को OPL के लिए ₹ 1,180 [1,000 छूट मूल्य के लिए और 180 आनुपातिक IGST के लिए] का क्रेडिट नोट जारी करता है। क्रेडिट नोट प्राप्त करने के बाद, OPL द्वारा दिए गए छूट के कारण 180 के इनपुट टैक्स क्रेडिट को उलट देता है। PBPL फरवरी के महीने की अपनी GST देयता को ₹ 180 तक कम कर सकता है। OPL ने 10 फरवरी को PBPL को ₹ 57,820 (₹ 50,000 + ₹ 9,000 – ₹ 180) का भुगतान किया।

गैर–कटौती योग्य छूट के उदाहरण :

(i) उपर्युक्त उदाहरण में, यदि आपूर्ति की शर्तें एक महीने के भीतर भुगतान के लिए 2% से छूट प्रदान नहीं करती हैं, लेकिन PBPL को बातचीत के बाद भुगतान के समय इस तरह की छूट प्रदान करती है तो मूल्य से कटौती के रूप में छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी। PBPL ₹ 1,000 के लिए केवल छूट के मूल्य के लिए एक व्यावसायिक क्रेडिट नोट जारी करेगा। OPL कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं बदलेगा और PBPL भी फरवरी के महीने के लिए

© The Institute of Chartered Accountants of India

अपनी GST देयता को कम करने में सक्षम नहीं होगा। इस मामले में OPL 10 फरवरी को ₹ 58,000 (₹ 50,000 + ₹ 9,000 – ₹ 10,000) PBPL का भुगतान करेगा।

(ii) कंपनी ने वर्ष के दौरान डीलर के निष्पादन की समीक्षा करने के बाद कारोबार में छूट की घोषणा की। छूट प्रदर्शन स्लैब पर आधारित होती है और नकद वापसी के रूप में दी जाती है। चूंकि माल की आपूर्ति के समय से छूट ज्ञात नहीं थी, इसलिए इसकी उन वस्तुओं के मूल्य से कटौती नहीं की जाएगी। अतः कंपनी अपनी कर देयता से भुगतान किए गए अतिरिक्त कर को समायोजित नहीं कर पाएगी।

(B) पूर्तियां यहां धारा 15(1) के अन्तर्गतमूल्य निर्धारित नहीं की जा सकती तथा अधिसूचित पूर्तियाँ [धारा 15 की उपधाराएँ (4) एवं (5)]

धारा 15(4) में व्यवस्था है कि यदि धारा 15(1) लागू नहीं की जा सकती है, जैसे कि लेन–देन सम्बन्धित पक्षकारों के मध्य है और मूल्य माल सेवा की पूर्ति हेतु पूर्ति का एक मात्र प्रतिफल नहीं है तब मूल्य का निर्धारण, मूल्यांकन नियमों के अधीन किया जायेगा ('निर्धारण' की परिभाषा पढ़ें) साथ ही धारा 15(5) में व्यवस्था है कि कुछ अधिसूचित पूर्तियों के मामले में भी, मूल्यांकन नियमों के अनुसार मूल्य का निर्धारण किया जायेगा। जैसा कि पहले वर्णित है, इन नियमों को फाइनल स्तर पर विवेचित किया जायेगा–

उदाहरण (Illustration) 1

ब्लैक एण्ड व्हाइट प्रा. लि. द्वारा निम्नांकित सूचनाएँ उसके द्वारा कलरफुल प्रा. लि. को विक्रीत माल के सम्बन्ध में प्रदत्त हैं।

विवरण	₹
माल का सूची मूल्य (करों एवं कटौतियों रहित)	50,000
ऐसे माल के विक्रय पर लागू नगरपालिका कर	5000
माल पर लागू CGST और SGST	10,440
पैकिंग चार्ज (उपर्युक्त मूल्य में शामिल नहीं)	1000

ब्लैक एण्ड व्हाइट को एक NGO से ऐसे माल के विक्रय पर ₹ 2,000 आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त हुए, जिसको घटाकर उपर्युक्त ₹ 5,0000 संगणित किया गया है ब्लैक एण्ड व्हाइट माल के सूची मूल्य पर 2% कटौती स्वीकृत करते हैं जो कि माल के बीजक में अकिंत है। ब्लैक एण्ड व्हाइट द्वारा की गयी कर योग्य पूर्ति का मूल्यांकन कीजिये।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उत्तर (Solution)

करयोग्य पूर्ति के मूल्य की गणना

विवरण	₹
माल का सूची मूल्य (करों एवं कटौतियों से पूर्व)	50,000
ऐसे माल के विक्रय पर लागू नगरपालिका कर [धारा 15 (2) (a) के अनुसार शामिल]	5,000
पैकिंग चार्ज [धारा 15 (2) (c) के अधीन शामिल]	1,000
गैर सरकारी निकाय से प्राप्त आर्थिक सहायता (चूँकि आर्थिक सहायता एक गैर–सरकारी निकाय से प्राप्त है इसे धारा 15 (2) (e) के अधीन शामिल नहीं किया जाएगा।)	2,000
योग	58,000
घटाओ : स्वीकृत कटौती (2% × 50,000) क्योंकि पूर्ति के समय ज्ञात थी, अतः धारा 15 (3) (a) अधीन कटौती योग्य	1,000
कर योग्य पूर्ति का मूल्य	57,000

उदाहरण (Illustration) 2

समृद्धि एडवरटाइजर्स ने न्यू मून प्रा. लि. के नये उत्पाद के लांच के लिये एक विज्ञापन कैम्पन का डिजाइन ₹ 5,00,000 प्रतिफल के लिये तैयार किया है समृद्धि एडवरटाइजर्स, ₹ 20,000 के लिये अपने एक वेन्डर डीक है, जिसका सम्बन्ध न्यू मून लि. को प्रदत्त विज्ञापन से है समृद्धि एडवरटाइजर्स का यह दायित्व न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्वाह किया गया। न्यू मून प्रा. लि. द्वारा भुगतान में देरी करने के लिये ₹ 15,000 ब्याज का भुगतान करना पड़ा। GST की दर 18% है।

समृद्धि एडवरटाइजर्स द्वारा की गयी कर योग्य सेवा का मूल्यांकन कीजिए :

उत्तर (Solution)

कर योग्य पूर्ति के मूल्य की गणना

विवरण	₹
सर्विस चार्जेज	5,00,000
न्यू मून प्रा. लि. द्वारा समृद्धि एडवरटाइजर्स के वेन्डर को भुगतान (पूर्तिकर्ता के दायित्व का प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान (धारा 15(2)(b) के अधीन शामिल)	20,000
प्रतिफल के देरी से भुगतान के कारण चुकता ब्याज (धारा 15(2)(d) के अधीन शामिल)	12,712
कर योग्य पूर्ति का मूल्य	5,32,712

© The Institute of Chartered Accountants of India

नोट : प्रतिफल के भुगतान में देरी हेतु ब्याज पूर्ति के मूल्य में शामिल किया जाएगा। लेकिन ऐसे ब्याज की पूर्ति का समय वह तिथि होगी जब यह ब्याज धारा 13 (6) के अनुसार प्राप्त होता है। यह ब्याज GST शामिल किया हुआ माना जाएगा तथा कीमत वापसी संगणनाओं द्वारा गणित की जाएगी [ब्याज / (100 + कर दर) × 100]।

धारा 15 के तहत प्रदान की गई मूल्यांकन की योजना का नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है :

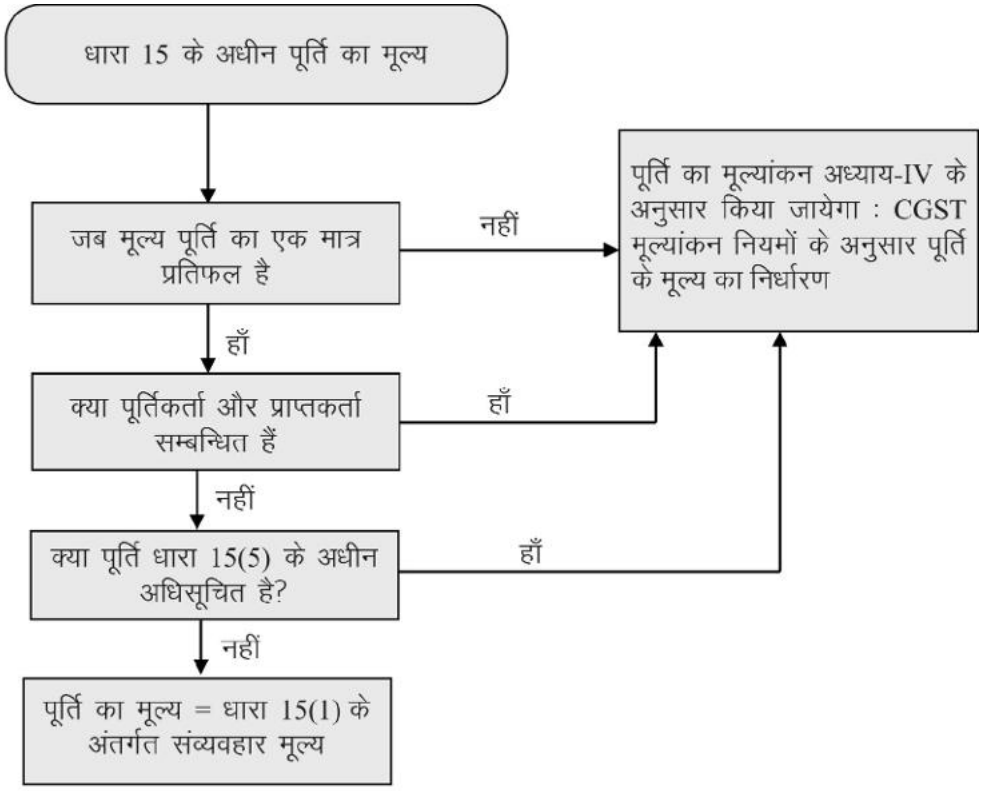

© The Institute of Chartered Accountants of India

4. आओ दोहराएं (Let Us Recapitulate)

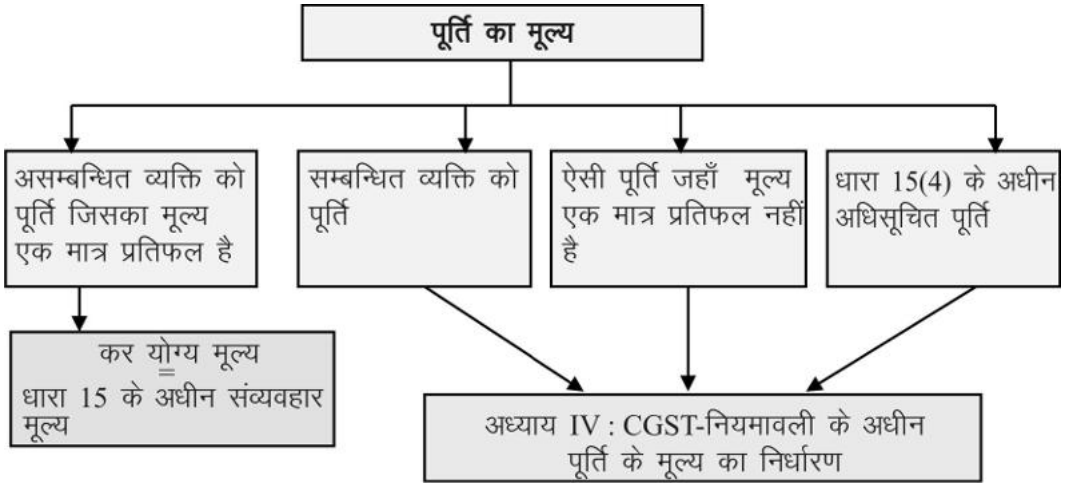

धारा 15(2) के अन्तर्गत मूल्य में समावेश

⇒ GST को छोड़कर अन्य कर

⇒ पूर्ति के सम्बन्ध में ग्राहक द्वारा तृतीय पक्ष को ऐसा भुगतान जिसके लिये पूर्तिकर्ता दायी था और मूल्य में शामिल नहीं था,

⇒ माल की सुपुर्दगी/सेवा के प्रदान करने तक संलग्न पूर्तिकर्ता द्वारा व्यय, यदि प्राप्तकर्ता से वसूल किये हैं;

⇒ केन्द्र/राज्य सरकार को छोड़कर अन्य से प्राप्त आर्थिक सहायता जिसका पूर्ति के मूल्य से सम्बन्ध है;

⇒ प्रतिफल के देरी से भुगतान के कारण ब्याज, शुल्क या अर्थदण्ड

धारा 15(2) के अन्तर्गत मूल्य से अपवर्जन

⇒ पूर्ति के समय या उससे पूर्व दी गई कटौतियाँ तथा बीजक में अभिलेखित

⇒ पूर्ति के पश्चात कटौती/प्रोत्साहन, यदि पहले से ज्ञात हो तथा बीजकों से सम्बन्धित हो तथा आनुपातिक इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्तकर्ता द्वारा व्युत्क्रमित किया गया हो।

5. अपने ज्ञान को परखें (Test Your Knowledge)

1. धारा 15(1) के अधीन पूर्ति का मूल्य है:

   (a) थोक मूल्य

   (b) बाजार मूल्य

   (c) अधिकतम फुटकर मूल्य

   (d) संव्यवहार मूल्य

© The Institute of Chartered Accountants of India

2. पूर्ति के मूल्य में शामिल होने चाहियेः

   (a) गैर GST कर, शुल्क, उपकर, फीस; जिसे पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक में पृथक् वसूल किया गया है

   (b) पूर्ति के प्रतिफल के देरी से भुगतान के कारण–ब्याज, शुल्क या अर्थदण्ड

   (c) केन्द्र/राज्य सरकार की आर्थिक सहायता को छोड़कर अन्य आर्थिक सहायताएं जिनका मूल्य से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है

   (d) उपर्युक्त सभी

3. पूर्ति के मूल्य में कौन शामिल नहीं हैः

   (a) GST

   `(b) ब्याज

   (c) विलम्ब शुल्क

   (d) कमीशन

4. पूर्ति के मूल्य निर्धारण में संव्यवहार मूल्य कब अस्वीकृत है–

   (a) जब क्रेता/विक्रेता सम्बन्धित व्यक्ति है और मूल्य पूर्ति का एक मात्र प्रतिफल नहीं है

   (b) जब क्रेता/विक्रेता सम्बन्धित व्यक्ति है अथवा मूल्य पूर्ति का एक मात्र प्रतिफल नहीं है

   (c) इसको अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है

   (d) जब माल बहुत कम मार्जिन के साथ बेचा जाय

5. निम्नांकित से कौन–सा कथन सही है–

   (a) CGST Act की धारा 15 माल/सेवाओं की पूर्ति के मूल्यांकन के विभिन्न प्रावधान निर्धारित करती है।

   (b) CGST Act और IGST Act में पूर्ति मूल्यांकन के विभिन्न प्रावधान हैं।

   (c) CGST Act की धारा 15 माल/सेवाओं की पूर्ति के मूल्यांकन के प्रावधानों के समान समूह को निर्धारित करती है।

   (d) (a) और (b)।

6. पूर्ति के पश्चात स्वीकृत कटौती को पूर्ति के मूल्य से घटाया जायेगा, यदि–

   (a) ऐसी कटौती ऐसे समझौते के अधीन दी गयी है जो पूर्ति के समय या उससे पूर्व प्रवृत हुआ था।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(b) ऐसी कटौती सम्बन्धित बीजक से जुड़ी हुई है।

(c) पूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा आनुपातिक ITC वापस कर दी गयी है।

(d) उपर्युक्त सभी।

7. AKJ फूडस प्रा. लि. को एक ग्राहक से प्रोसेस्ड फूड की पूर्ति का एक आदेश प्राप्त होता है। ग्राहक चाहता है कि फूड में शामिल ग्लूटेन या निर्दिष्ट रासायनिक अवशिष्टों का परीक्षण किया जाय। AKJ फूड प्रा. लि. ऐसा परीक्षण करती है और ग्राहक से परीक्षण शुल्क वसूल करती है। AKJ फूड प्रा. लि. का तर्क है कि ऐसी परीक्षण फीस को विक्रय के प्रतिफल का भाग नहीं होना चाहिये, क्योंकि यह एक पृथक् गतिविधि है।

धारा 15 के संदर्भ में क्या उनका तर्क सही है?

8. एक पुण्यार्थ एसोसियेशन प्रति वर्ष पर्याप्त दान करती है जिसका उद्देश्य निजी प्रबन्ध संस्थान को आर्थिक सहायता देना है जिससे कम आय वर्ग के छात्रों को शिक्षा में राहत प्राप्त हो सके। इससे ऐसे छात्रों की फीस में कमी होकर ₹ 3 लाख प्रति वर्ष हो जाती है जबकि अन्य छात्रों से फीस ₹ 5 लाख प्रति वर्ष ली जाती है।

संस्थान द्वारा प्रदत्त कोचिंग एवं कम आय वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा की सेवा का मूल्यांकन कितना हेगा?

9. मेज्दा बैनर्स, एक विज्ञापन फर्म है, जो अपने ग्राहकों को भुगतान के लिये 30 दिन की साख प्रदान करती है। इसके एक ग्राहक ABC ने सेवा की पूर्ति के 32 दिन पश्चात भुगतान किया। माज्दा बैनर्स ने दो दिन की देरी का ब्याज परित्याग कर दिया।

विभाग का मत है कि अनुबन्ध के अनुसार दो दिन का ब्याज जोड़ना चाहिये। क्या कर योग्य मूल्य में काल्पनिक ब्याज जोड़ना चाहिये।

10. क्रच बेकरी प्रोड्क्टस लि. अपने डीलर्स के माध्यम से केक एवं बिस्कुट्स का विक्रय करते हैं, जिनके सूची मूल्य पर मानक कटौती पश्चात् मूल्य वसूलते हैं तथा उसके अनुसार GST का भुगतान करते हैं। डीलर्स से बेचा, बिना बिका माल रह जाता है, ये डीलर्स को अतिरिक्त कटौती, विक्रय बढ़ाने के लिये देते हैं। क्या यह अतिरिक्त कटौती बेचे गये माल के मूल्य से घटायी जा सकती है और तदनुसार कर समायोजित किया जाये।

6. उत्तर / संकेत (Answer/Hints)

1. (d) **2.** (d) **3.** (a) **4.** (a) & (b) **5.** (c) **6.** (d)

7. धारा 15(2) के अनुसार कुछ तत्व आवश्यक रूप से संव्यवहार मूल्य में जोड़े जाते हैं, धारा 15(2) का वाक्य (c) में उल्लिखित है कि यदि पूर्तिकर्ता पूर्ति के सम्बन्ध में, माल की सुपुर्दगी और सेवाओं के प्रदान करने के समय या पूर्व कोई कार्य करता है जिसके लिये प्राप्तकर्ता से राशि वसूल की जाती है, उसको पूर्ति के मूल्य में शामिल किया जायेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

चूँकि AKJ फूड्स प्रा. लि. ने माल की सुपुर्दगी से पूर्व परीक्षण किया है, अतः उसके लिये वसूल राशि प्रेषण मूल्य में शामिल की जायेगी। अतः AKJ फूड्स प्रा. लि. का तर्क सही नहीं है। परीक्षण शुल्क को जोड़कर ही प्रेषण मूल्य संगणित किया जायेगा।

8. धारा 15(2)(e) के अनुसार पूर्ति के मूल्य में प्रत्यक्षतः सम्बन्धित आर्थिक सहायता शामिल की जाती है, (केन्द्र/राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता को छोड़कर) प्रश्नगत मामले में आर्थिक सहायता सरकार से प्राप्त नहीं है, वरन् एक पुण्यार्थ एसोसियेशन से प्राप्त की गयी है। अतः पूर्ति के मूल्य की गणना के लिये इसको शामिल करते हुए ₹ 5 लाख प्रति वर्ष पूर्ति का मूल्य होगा।

9. धारा 15(1) के अनुसार संव्यवहार मूल्य के आधार पर पूर्ति का मूल्यांकन किया जायेगा क्योंकि पूर्ति हेतु मूल्य एक मात्र प्रतिफल है और क्रेता/विक्रेता सम्बन्धित पक्षकार नहीं हैं। पूर्ति की कीमत में कुछ तत्व शामिल हैं जैसे ब्याज जो वास्तविक रूप से देय है। एक बार परित्याग करने पर ब्याज देय नहीं रहती है, अतः संव्यवहार मूल्य में जोड़ी नहीं जायेगी।

10. डीलर्स को माल की पूर्ति करते समय कटौती, सहमत/ज्ञात नहीं थी। अतः ऐसी कटौती, पूर्ति के मूल्य में से नहीं घटायी जा सकती है, जिस पर धारा 15(3) के अधीन कर देय है।

© The Institute of Chartered Accountants of India